

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/636/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 1.11, 2013

सेवा में,

श्री इस्लामुद्दीन
जी-208, गली नं. 13/7
भागीरथी विहार
दिल्ली-110094

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 17.09.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 30.10.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि श्रीमती खालिदा द्वारा प्रस्तुत 4 मई, 2013 की शिकायत को इस मंत्रालय के दिनांक 29.05.2013 के पत्र सं. 14036/1/2013-यू टी पी (खण्ड-III) द्वारा दिल्ली पुलिस को पहले ही अग्रेषित किया जा चुका है तथा इसलिए, आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

*Issued with 2631
18/11/13*

चित्ता नारायण

(चित्ता नारायण)

अवर सचिव (डी पी-1)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

*Issued with encl. 2622(V)
18/11/13*